

आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 458/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
आई आई एफ एल होम फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा : विनायक हाईटस, चौथा पलोर, गौतम मार्ग,
वैशाखी नगर, जयपुर-302021

प्रार्थी वित्तीय संस्था

वनाम

1. श्री राजकुमार कावरा,

पता :- ए-446, तारा नगर, खिरणी फाटक रोड, झोटवाडा, जयपुर-302012

एवं श्री श्याम किराना स्टोर, शॉप नम्बर 88, खिरणी फाटक, झोटवाडा, जयपुर-302012

एवं प्लॉट नम्बर एफ-56, द्वितीय तल, एस 2 मंगल सिटी, एफ-ब्लॉक, ग्राम हाथोज,
जयपुर-302020

2. श्रीश्याम किराना स्टोर जरिये प्रोपराईटर,

पता :- शॉप नम्बर 88, खिरणी फाटक, झोटवाडा, जयपुर-302012

एवं प्लॉट नम्बर एफ-56, द्वितीय तल, एस 2 मंगल सिटी, एफ-ब्लॉक, ग्राम हाथोज,
जयपुर-302020

3. श्रीमती मंजू कावरा,

पता :- ए-446, तारा नगर, खिरणी फाटक रोड, झोटवाडा, जयपुर-302012

एवं प्लॉट नम्बर एफ-56, द्वितीय तल, एस 2 मंगल सिटी, एफ-ब्लॉक, ग्राम हाथोज,
जयपुर-302020



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002

अप्रार्थीगण
ऋणीएवं गारन्टर

उपस्थित:- विक्रम सिंह नाथावत, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक 09.09.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती मंजू कावरा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर एफ-56, योजना मंगलम सिटी, एफ-ब्लॉक, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित प्लेट नम्बर एस-2, क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट को बंधक रख कर दिनांक 07.06.2016 को राशि 19,44,000/- रुपये व दिनांक 16.06.2020 को राशि 3,18,349/- रुपये कुल राशि 22,62,349/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.03.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत

458
जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर
जयपुर



- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिकता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
 3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 22,62,349/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 22,09,290/-रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 11.03.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
 4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती मंजू काबरा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर एफ-56, योजना मंगलम सिटी, एफ-ब्लॉक, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित प्लेट नम्बर एस-2, क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
- आदेश आज दिनांक 09.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर
3336-87
24-9-25